उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-40/2023/374195/60-1099/6/2020
लखनऊ::दिनांक:: 24 अगस्त, 2023
कार्यालय-आदेश

श्री राकेश सिंह, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, बस्ती सम्प्रति महिला कल्याण निदेशालय, लखनऊ को जिला प्रोबेशन कार्यालय, बस्ती के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में आडिट आपत्ति भाग-2 (अ) एवं भाग-2 (ब) में माह-अगस्त, 2017 से माह-अक्टूबर, 2019 के मध्य रू0 4,83,99,073/- (रूपये चार करोड़ तिरासी लाख निन्यानवे हजार तिहत्तर मात्र) का रोकड़ बही (कैश-बुक) तैयार किये बिना भुगतान किये जाने, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यालय मद में प्राप्त आवंटन का अनियमित आहरण करने, बिना बिल बाउचर के रू0 8,00,000/- (रूपये आठ लाख मात्र) का फर्जी भुगतान किये जाने, उक्त धनराशि के आहरण संबंधी अभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने तथा पदगत दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने आदि आरोप के संबंध में प्रथम दृष्टाया दोषी पाते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-383/60-1-20-1/13(70)/2019, दिनांक 28.04.2020 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

2- श्री राकेश सिंह के विरूद्ध शासन के कार्यालय आदेश संख्या-53924/60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती (पदेन) को जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा आरोप-पत्र संख्या-53911/ 60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 निर्गत किया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री राकेश सिंह पर लगाये गये आरोपों की जॉच कर जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 12.02.2021 शासन में प्राप्त हुई। जॉच में आरोप प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9 (4) के अन्तर्गत सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये श्री सिंह से अभ्यावेदन मांगा गया। उनका अभ्यावेदन दिनांक 25.06.2021 शासन में प्राप्त हुआ। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन तथा अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राकेश सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में उन पर लगाये गये समस्त 06 आरोप जॉच में प्रमाणित पाया गया। आरोपों के सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत श्री राकेश सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड का विनिश्चिय करते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-407/60-1-23-1/13(70)/2019, दिनांक 12.04.2023 द्वारा निलम्बन से सेवा में बहाल किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

4- शासन के पत्र दिनांक 12.04.2023 द्वारा श्री राकेश सिंह के विरूद्ध विनिश्चित किये गये दण्ड-''संचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि रोके जाने, गबन की धनराशि रू0 8,00,000/- का 50 प्रतिशत श्री राकेश सिंह के वेतन से वसूली कराये जाने तथा परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान किये जाने''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

के प्रस्ताव पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की सहमति मांगी गयी। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-1/2/ए.डी.सी./एस-4/2023-24, दिनांक 20.06.2023 द्वारा श्री राकेश सिंह के विरूद्ध विनिश्चित दण्ड पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में श्री राकेश सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, अमरोहा के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में विनिश्चित किये गये दण्ड-**''गबन की धनराशि (रू0 8,00,000/-) का 50 प्रतिशत उनके वेतन से वसूली किये जाने, संचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि रोके जाने एवं निम्नवत् परिनिन्दा प्रविष्टि''** प्रदान करते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-53924/60-1099/6/2020, दिनांक 22.07.2020 द्वारा प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्वारा समाप्त किया जाता है :-

> ***''जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती के पद पर तैनाती के दौरान आहरण-वितरण संबंधी पदगत कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से नहीं किये जाने, अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखे जाने तथा आहरण संबंधी अभिलेखों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किये जाने तथा कार्यालय व्यय हेतु आवंटित रू0 8,00,000/- की शासकीय धनराशि का गबन किये जाने में संलिप्त पाते हुये आपको 'परिनिन्दित' किया जाता है।''***

(अनामिका सिंह)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि गबन की धनराशि (रू0 8,00,000/-) का 50 प्रतिशत की वसूली श्री राकेश सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, अमरोहा के वेतन से कराते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
(2) जिलाधिकारी, बस्ती/अमरोहा।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अमरोहा।
(4) श्री राकेश सिंह, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, अमरोहा।
(5) श्री राकेश सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी की चरित्र पंजिका में अभिलेखित करने हेतु।
(6) गार्ड फाइल।

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in